राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : निसंशि / सा.प्रशा.2 / 09 / 1883-93 दिनांक : 15.12.2009

:: आदेश ::

प्रायः यह देखने में आया है कि संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले स्थानान्तरण आदेशों की पालना समय पर नहीं होती है, जिनके निम्नांकित कारण विभाग द्वारा चिन्हित किए गए हैं–

1. प्रायः स्थानान्तरित शिक्षक को उसके संस्था प्रधान द्वारा समय पर कार्यमुक्त नहीं किया जाता है और वह शिक्षक अपनी सुविधा एवं इच्छा से कार्यमुक्त होने हेतु प्रयासरत रहता है।
2. कार्यमुक्त होने के पश्चात् संबंधित शिक्षक कार्यग्रहण काल का उपभोग करने के पश्चात् भी गंतव्य पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करते हैं एवं चिकित्सा आदि के आधार पर बिना किसी सक्षम अनुमति के अनुपस्थित हो जाते हैं।
3. कतिपय शिक्षक नये पदस्थापन स्थान पर औपचारिक रूप से कार्यग्रहण करने के पश्चात् कम अवधि का अवकाश स्वीकृत कराकर तत्पश्चात बीमारी का कारण बताते हुए लम्बी अवधि तक कार्य से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे शैक्षणिक कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होता है।

उक्त स्थितियों की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई एवं विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। अतः भविष्य हेतु निम्नांकित निर्देश प्रदान किए जाते हैं –

1. संस्था प्रधान का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरण आदेश जारी होने की दिनांक से संबंधित स्थानान्तरित शिक्षक को (विद्यालय के एकल शिक्षक को छोड़ कर) आगामी दस दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त कर देवें अन्यथा संबंधित संस्था प्रधान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
2. जो शिक्षक कार्यमुक्त होने के बाद एवं कार्यग्रहण काल का उपभोग (यदि अनुमत किया गया एवं देय हो तो) करने के पश्चात् भी नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करते हैं तो राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम 1981 के नियम 8 के अंतर्गत ऐसे शिक्षक को कार्यग्रहण काल समाप्ति के पश्चात् कोई वेतन देय नहीं होगा और उसके विरूद्व कार्यग्रहण काल अधिक लेने पर दण्ड की कार्यवाही की जावेगी। अतः ऐसे समस्त मामले जिनमें कार्यग्रहण काल से अधिक समय लिया गया हो अथवा अधिक समय का अवकाश आवेदित किया गया हो, तो उन प्रकरणों को संस्था प्रधान द्वारा अन्तिम निस्तारण हेतु संभागीय कार्यालय के माध्यम से विभागीय मुख्यालय को निर्णित किए जाने हेतु प्रेषित किया जावेगा।
3. उक्त के अतिरिक्त कतिपय शिक्षकगण जो कि औपचारिक रूप से कार्यग्रहण करने के तुरंत बाद अथवा कुछ ही समय पश्चात् पुनः न्यून अवधि का अवकाश स्वीकृत कराकर लम्बी अवधि तक कार्य पर उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसे मामलों में यदि अनुपस्थिति / अवकाश अवधि एक माह से अधिक है तो उन मामलों को संस्था प्रधान द्वारा संभागीय कार्यालय के माध्यम से विभागीय मुख्यालय को निर्णित किए जाने हेतु प्रेषित किया जावेगा।

15.12.09

(मधुसूदन शर्मा)
निदेशक
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान

कृ.पृ.उ.....

1883-93
15.12.2009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/निरीक्षक संस्कृत शिक्षा (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर संभाग चूरू) को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश की पालना सुनिश्चित करावें एवं इसकी जानकारी सभी संबंधित संस्था प्रधानों को अपने स्तर पर देवें।

2. संबंधित संस्था प्रधान ..... (द्वारा संभागीय कार्यालय)

3. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय बेवसाइट में अपलोड करने एवं अभिलेख में रखे जाने हेतु।

4. निजी सहायक को गार्ड पत्रावली में रखे जाने हेतु।

15.12.09
निदेशक
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान